Regd. No. PB/CH-03

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt of Haryana

चण्डीगढ़, शुक्रवार, 17 फरवरी, 1989

(28 माघ, 1910 शक)

क्रमांक	विधायी परिशिष्ट	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	अधीनस्थ विधान	
	अधिसूचना सं० सा०का०नि० 27/कें०अ० 52/84/धा०65/89, दिनांक 15 फरवरी, 1989; हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1988 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	361—440
भाग IV	शुद्धि पर्चियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

हरियाणा सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 1989

सं० सा०का०नि० 27/के०अ० 52/84/धा० 65/89.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 65 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

भाग I

1. ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1988 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984,

(ख) "समिति" से अभिप्राय है हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा गठित कार्यकारी समिति तथा अन्य समिति,

(ग) "परिषद्" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन स्थापित हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्,

(घ) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक पशुपालन, हरियाणा,

(ङ) "शुल्क" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन पशु चिकित्सा व्यवसायी के पंजीकरण के लिये नियत शुल्क,

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य सरकार,

(छ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है धारा 42(1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार, तथा

(ज) "अधिकरण" का अभिप्राय है अधिनियम की धारा 45(1) के अधीन प्रथम बार राज्य पशु चिकित्सा पंजी तैयार करने के प्रयोजन के लिये गठित पंजीकरण अधिकरण।

भाग II

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन

निर्वाचन नामावली का प्रकाशन धारा 37 तथा 65(2) (ख)

1. निदेशक रिटर्निंग आफिसर होगा। यह अधिनियम की धारा 32(क) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तैयार करेगा तथा उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करायेगा। जिन में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा राजपत्र में नियत तिथि तक ऐसे निर्वाचन में तथा ऐसी अन्य रीति में, जो वह ठीक समझे, मत देने के हकदार हो सकते हैं। इस बात की घोषणा दैनिक सामाचारपत्रों के माध्यम से प्रेस में भी की जायेगी।

2. प्रारूप निर्वाचक नामावली जनता के निरीक्षण के लिये रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के लिये खुली रखी जायेगी, जिस के दौरान उक्त प्रारूप निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों या उन में लोप से सम्बन्धित कोई आक्षेप किसी भी व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार प्राप्त आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा और प्रारूप निर्वाचन नामावलियों को संशोधित करेगा और निर्वाचन की तिथि से साठ दिन पूर्व निर्वाचन नामावलियों का प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित करायेगा। तब निर्वाचक नामावलियां अन्तिम तथा निशचायक समझी जायेंगी।

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में नामजदगी। धारा 37 तथा धारा 65(2) (ख)

4. रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित कार्यवाहियों में से प्रत्येक के लिये तिथि, समय तथा स्थान राजपत्र में तथा किसी अन्य रीति में जिसे वह ठीक समझे अधिसूचित करेगा —

(i) नामजदगी पत्रों की प्राप्ति तथा उनकी जांच,

(ii) मतपत्रों का भेजना, तथा

(iii) मतपत्रों की प्राप्ति तथा जांच और मतों की गणना।

(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावलियों में है और अधिनियम की धारा 31 तथा 32(3) के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद में निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में नामजद किया जा सकता है।

(2) ऐसा प्रारूप "क" में नामजदगी पत्र द्वारा की जायेगी, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस निर्वाचक की जो उसके लिये आवेदन करे, सप्लाई किया जायेगा।

(3) प्रत्येक नामजदगी पत्र एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में तथा अन्य द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायेगा। अन्य द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायेगा।

परन्तु कोई भी निर्वाचक अपने निर्वाचक मण्डल को आबंटित स्थानों से अधिक नामजदगी पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि एक ही निर्वाचक द्वारा नामजदगी पत्रों को विहित संख्या से अधिक पर किस्तों में हस्ताक्षरित किये जायें तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले प्राप्त होने वाले नामजदगी पत्रों की विहित संख्या, अन्यथा सही होने पर वैध मानी जायेगी और यदि विहित संख्या में अधिक नामजदगी पत्र एक ही निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित किये हुये रिटर्निंग आफिसर को एक साथ प्राप्त हो जायें तो तिथियों के क्रम में की गई नामजदगियों को विहित संख्या स्वीकृत कर ली जायेगी, शेष नामजदगियां अस्वीकृत कर दी जायेगी । यदि इस प्रकार से प्राप्त सभी नामजदगी पत्र एक ही तिथि के हों तो सभी नामजदगी पत्र अविधिमान्य होंगे ।

(4) प्रत्येक नामजदगी पत्र की प्राप्ति पर रिटर्निंग आफिसर तत्काल उस पर प्राप्ति की तिथि तथा समय पृष्ठांकित करेगा ।

समय पर प्राप्त न होने वाले नामजदगी पत्रों का रद्द किया जाना धारा 37 तथा धारा 65 (27) (ग)

5. (1) ऐसे नामजदगी पत्र जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा निमित्त नियत किये गये अन्तिम दिन को उस के कार्यालय के पते पर दोपहर को 12 बजे से पूर्व प्राप्त नहीं होते उन्हें रद्द कर दिया जायेगा ।

(2) उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक और समर्थक नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित तिथि तथा समय पर रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं और रिटर्निंग आफिसर उन्हें सभी उम्मीदवारों के उन नामजदगी पत्रों को, जो उस द्वारा यथापूर्वोक्त प्राप्त किये गये हैं, परीक्षा के लिये अनुज्ञात करेगा ।

(3) इसके बाद रिटर्निंग आफिसर नामजदगी पत्रों की जांच करेगा और उन सभी प्रश्नों का जो किसी नामजदगी की विधिमान्यता के बारे उत्पन्न हो, या तो स्व-प्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा किये गये आक्षेप पर निर्णय कर सकता है और ऐसे प्रश्नों पर उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

अनिश्चित स्थितियों में उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करना । उम्मीदवारों के नामों का प्रकाशन, उम्मीदवारों से नाम वापिस लेना आदि धारा 37 तथा धारा 65 (2) (ग)

6. यदि नामजद किये गये उन उम्मीदवारों की संख्या जो निर्वाचन के लिये खड़े हुये है उस खण्ड के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होती तो रिटर्निंग आफिसर तुरन्त ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देगा ।

(2) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो जाती है तो रिटर्निंग आफिसर तुरन्त उन के नाम तथा पते राजपत्र में प्रकाशित करेगा और उसके बाद, प्रारूप "ख" में मतपत्रों में उनके नाम दर्ज करायेगा ।

(3) कोई भी नामजद उम्मीदवार मतों की गणना तथा जांच के लिये नियत तिथि से पूर्व तथा स्पष्ट चौदह दिनों के भीतर रिटर्निंग आफिसर को एक लिखित तथा हस्ताक्षरित

नाम वापसी पत्र भेज कर अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकता है और उसे बाद में ऐसी नाम वापसी रद्द करना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(4) ऐसी नाम वापसी की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर नाम वापसी के इस तथ्य को राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत की गई ऐसी तिथि को या उससे पूर्व वह प्रत्येक निर्वाचक को पंजीकृत डाक द्वारा रिटर्निंग आफिसर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित मत पत्र प्रारूप "ग" "च" में घोषणा-पत्र सहित भेजेगा :

परन्तु मतगणना के लिये नियत तिथि से पूर्व किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को ऐसे मत पत्र हेतु निर्वाचक द्वारा आवेदन करने पर ऐसे किसी भी निर्वाचक को मत पत्र सप्लाई किया जायेगा और कोई भी निर्वाचन, निर्वाचक को उसका मत पत्र प्राप्त न होने के कारण अविधिमान्य नहीं किया जायेगा ।

डाक आदि द्वारा मत पत्र डालने का ढंग धारा 37

7. (1) अपना मत अभिलिखित करवाने का इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक, अपना मत पत्र इसमें विनिर्दिष्ट रीति में उस पर अभिलिखित करने के बाद उसे प्रारूप "घ" में सम्यक रूप से सम्बोधित पहले इस छोटे लिफाफे में डालकर और तत्पश्चात् छोटे लिफाफे को प्रारूप ङ में रीति में सम्बोधित बड़े लिफाफे में डालकर रिटर्निंग आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा :

परन्तु उसमें ये मत पत्र, जो मतगणना और जांच के लिये नियत समय तथा तिथि से पूर्व रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त नही किये जाते, रद्द कर दिये जायेंगे ।

(2) इस बात के लिये अपनी सन्तुष्टि करने के बाद कि निर्वाचकों ने प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग आफिसर प्रतिपर्ण फाड़ देगा और नियमानुसार निपटान होने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर जांच के समय ऐसे किसी भी मत पत्र पर जिसे वह इस आधार पर रद्द कर सकता है कि उसमें दिये गये अनुदेशों का अनुपालन नही किया गया है "रद्द" पृष्ठांकित करेगा ।

मतों की जांच तथा गणना धारा 37 तथा 65 (27) (ग)

8. (1) रिटर्निंग आफिसर अपने कार्यालय में मतों की जाच तथा गणना ऐसी तिथि तथा समय पर करेगा जो उस द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जायें ।

(2) निर्वाचन के लिये सम्यक रूप से नामजद तथा स्वीकृत कोई भी उम्मीदवार गणना की प्रक्रिया की देख रेख के लिये स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है ।

(3) रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार अनुरोध किये जाने पर उम्मीदवारों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मत पत्र दिखलायेगा, किन्तु प्रतिपर्ण नहीं दिखायेगा ।

(4) यदि किसी मत पत्र पर इस आधार पर कोई आक्षेप लगाया जाता है कि उसमें दिये हुए अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है या रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मत पत्र को रद्द किया जाना था तो उसका रिटर्निंग आफिसर द्वारा तुरन्त विनिश्चय किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

परिणाम की घोषणा धारा 37 तथा धारा 65 (2) (ग)

9. (1) जब मतों की गणना पूरी हो जाये तो रिटर्निंग आफिसर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार या उम्मीदवारों को तुरन्त निर्वाचित घोषित करेगा ।

(2) जब किन्हीं उम्मीदवारों के मत बराबर पाये जाते है और एक मत के आधिक्य से इन उम्मीदवारों में से कोई भी एक निर्वाचित किये जाने का हकदार हो सकता हो तो उस उम्मीदवार का निश्चय, जिसे ऐसा अतिरिक्त मत दिया गया समझा जायेगा, रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में लाटरी निकाल कर ऐसी रीति में किया जायेगा जिसे वह अवधारित करें ।

निर्वाचन दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा धारा 37 तथा धारा 65 (2) (ग)

10. गणना पूरी होने पर और रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम घोषित कर दिये जाने के बाद वह मत पत्रों तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य दस्तावेजों को मुहरबन्द करेगा तथा उन्हें छः मास की अवधि के लिये अपने पास रखेगा और बाद में उन्हें नष्ट करवा देगा ।

सदस्यों के नामों का प्रकाशन धारा 37 तथा धारा 65 (2) (ग)

11. रिटर्निंग आफिसर निर्वाचित सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा ।

परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन धारा 36 तथा धारा 65 (2) (क) (ख)

12. अध्यक्ष जिस का के निर्वाचन के लिये उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जायेगा । निर्वाचन हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा ।

भाग II

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों की रिक्ति भरने का ढंग धारा 38

13. जब अधिनियम की धारा 32 के अधीन स्थापित हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् में कोई रिक्ति होती है या घटनाओं के साधारण अनुक्रम में उस तिथि से नब्बे दिन के भीतर किसी भी समय कोई रिक्ति होगी, तो अध्यक्ष सरकार को नामजद सदस्य की दशा में रिक्ति बारे में सूचित करेगा और निर्वाचित सदस्य की दशा में समबद्ध निर्वाचक मण्डल को उक्त रिक्ति के होने का एक आज्ञा पत्र जारी करेगा और आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रति स्थानी निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा । ऐसा आज्ञा पत्र राजपत्र में प्रकाशित एक नोटिस के रूप में होगा ।

रिक्ति भरने की प्रक्रिया धारा 65 (2)(ग)।

14. किसी सदस्य के निर्वाचक की दशा में नियम 4 से 11 में विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

परिणाम का प्रकाशन धारा 65 (2)(ग)।

15. रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का परिणाम अध्यक्ष को सूचित करेगा।

भाग III

कार्यकारी समिति तथा अन्य समितियों के गठन की शर्तें धारा 40 तथा धारा 65(2))(घ)।

16. अधिनियम के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिये हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ऐसे व्यक्तियों की संख्या वाली जो वह ठीक समझें, कार्यकारी समिति अथवा अन्य समिति का गठन कर सकती है। परिषद् द्वारा गठित प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

अपदिय, सदस्यों द्वारा परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिये शुल्क तथा भत्ते धारा 41 तथा धारा 65 (ङ)।

17. हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की बैठक में भाग लेने पर ऐसे अपदिय अथवा अन्य समितियों के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्तों की अदायगी पंजाब सिविल सेवा नियमावली जिल्द III (यात्रा भत्ता नियम) समय समय पर यथा संशोधन के आधार पर की जायेगी।

शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता धारा 41 तथा धारा 65 (2)(च)।

18. परिषद् अथवा उसकी किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये शासकीय सदस्यों को समय समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द III (यात्रा भत्ता नियम) के उपबन्धों के अनुसार यात्रा भत्ता अदा किया जायेगा।

भाग IV

रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें धारा 42(2) तथा धारा 65 (2)(च)।

19. (1) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्, सरकार की पूर्व स्वीकृति से रजिस्ट्रार तथा ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे जो इन नियमों के भाग 5 में विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के कर्मचारियों की सेवा एक मास के नोटिस पर समाप्य होगी और पद की समाप्ति पर, यदि कर्मचारी परिषद् के पास प्रति नियुक्ति पर है तो वह उसकी मूल पदवी पर प्रतिवर्तित किए जाने का दायी होगा। परिषद के कर्मचारियों को रोजगार की शर्तों के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी पड़ेगी।

20. (1). रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह पशु चिकित्सा व्यवसायियों की पंजी बनाए तथा हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करे। रजिस्ट्रार के कर्तव्य धारा 65(2)(च)।

(2) रजिस्ट्रार पंजी को जहां तक सम्भव हो सही रखेगा तथा समय समय पर व्यवसायियों के पतों तथा अर्हताओं वाले तात्विक परिवर्तन का इन्दराज करेगा। उन पंजीकृत व्यवसायियों के नाम जिन की मृत्यु हो जाती है, अथवा इस अधिनियम के अधीन जिनके नाम पंजी से हटाने का निर्देश किया जाता है, पंजी से हटा देगा।

भाग V

21. इन नियमों के परिशिष्ट I में बताए गये पद हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की सेवा को गठित करेंगे : सेवा का गठन धारा 40 (2) तथा धारा 65 (2)(च)।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नाम पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

22. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :— सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च)।

(क) भारत का नागरिक , या

(ख) नेपाल की प्रजा , या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या भारत मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगाण्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांकानिका और जंजीबार), मलावी जायेर, इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो और भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए, उस के द्वारा यह सबूत देने पर कि उस ने प्रमाण के लिये आवेदन दिया है, प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे भारत सरकार द्वारा उस को जारी किए गए आवश्यक प्रमाण-पत्र के अधीन रहते हुए अस्थायी रूप से भी नियुक्त किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यक्तिगत जीवन में उस से भली-भांति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

निरर्हताएं धारा 40(2) तथा धारा 65 (2) (च)।

23. कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिस ने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है सेवा में किसी भी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की सन्तुष्टी हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

आयु धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च)।

24. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय ऐसी तिथि को, जो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित की जाये, अठारह वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष से अधिक का है, या वह आयु की ऐसी सीमाओं के भीतर नहीं है जो समरूप प्रवर्ग के अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में समय समय पर सीधी भर्ती के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से विहित की जायें :—

परन्तु हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद लिखित कारण देकर व्यक्तियों के प्रवर्ग या वर्ग के लिए उपरी आयु सीमा में छूट दे सकती है :—

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति की दशा में उपरी आयु सीमा ऐसी होगी जो उस के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए।

(2) सेवा मुक्त सशस्त्र बल सैनिक की दशा में उस की आयु सैनिक सेवा में भर्ती या कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण के समय, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के प्रयोजन के लिए निश्चायक बात होगी और यदि वह उस समय इस नियम में विहित आयु सीमाओं के भीतर था, तो वह सेवा में भर्ती के लिए आयु सीमाओं के भीतर समझा जाएगा।

25. सेवा में सभी नियुक्तियां हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा की जायेंगी । नियुक्ति अधिकारी धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च)।

26. (1) सेवा में नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट II में विहित रीति में की जायेगी । नियुक्ति का ढंग धारा 40(2) तथा धारा 65(2)(च)।

(2) कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह इन नियमों के परिशिष्ट II में विहित अर्हताएं न रखता हो ।

(3) पदोन्नति द्वारा सेवा में सभी नियुक्तियां ज्येष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाएंगी और कोई भी व्यक्ति केवल जेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के दावे का हकदार नहीं होगा ।

27. सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा । सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा धारा 40 (2) तथा धारा 65(2) (च) ।

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि परीवीक्षा की अवधी में गिनी जायेगी ।

(ख) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति अधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, या उसे ऐसे पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है जिस पर वह ऐसी नियुक्ति से पहले धारणाधिकार रखता हो,

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो--

(i) उसे उस के पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उस के सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह खंड (i) में विहित परिवीक्षा प्रथम अवधि समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई हुई कुल अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

सेवा में सदस्यों की ज्येष्ठता धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च) ।

28. प्रत्येक संवर्ग सेवा के सस्दयों की ज्येष्ठता सेवा के असंवर्ग में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी ।

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिन से वे पदोन्नत किये गये थे ।

टिप्पणी :

(i) यह नियम बिल्कुल अस्थायी आधार पर नियुक्त सदस्यों को लागू नहीं होगा

(ii) ऐसे सस्दयों की दशा में जिनकी परिवीक्षा अवधि इन नियमों के अधीन बढ़ा दी जाती है, नियम के प्रयोजन के लिए नियुक्ति की तिथि उस सीमा तक आस्थगित की गई समझी जायेगी जिस सीमा तक परिसीक्षा की अवधि बढ़ा दी जाती है ।

29. सेवा के सदस्य ऐसे वेतनमानों के, जो इन नियमों के परिशिष्ट I में दिए गए हैं या ऐसे वेतनमानों के जो उसी प्रकार के पदों के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जायें हकदार होगें । सेवा के सदस्यों का वेतन धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च) ।

30. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होगें : अनुशासन, शास्तियां तथा अपील धारा 40 (2) तथा धारा 65 -(2)(च) ।

परन्तु पूर्वोक्त नियमों के नियम 4(1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों को लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा उसके अधीन अपील प्राधिकारी क्रमश: हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद तथा राज्य सरकार होगी ।

31. वेतन छुट्टी तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है । सेवा के सदस्य जहां तक हो सके, ऐसी विधि, नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी हैसियत के सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद, बनाए या बनाए जाएं । वेतन, छुट्टी तथा अन्य मामले धारा 40 (2) तथा धारा 65 (2) (च) ।

32. सेवा के सदस्यों से इन नियमों के परिशिष्ट III में विनिर्दिष्ट हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के अभिदायी भविष्य निधि नियमों के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय के लिए अपेक्षा की जायेगी । अभिदायी भविष्य निधि धारा 40(2) तथा धारा 65(2) (च) ।

33. सेवा के सदस्य ऐसे सभी चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे जो उन द्वारा अपने आप पर तथा अपने परिवार के सदस्यों पर खर्च किए गये हों, जैसे कि राज्य सरकार के तत्समान हैसियत के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हों । चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ धारा 40 (2) धारा 65 (ट) च) ।

34. सेवा का प्रत्येक सदस्य हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद के अधीन अपनी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सेवा निवृत होने के समय उस द्वारा लिए जाने वाले आधे मास के वेतन के बराबर उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा । उपदान धारा 40 (2) तथा धारा 65 (2) (च) ।

परन्तु यदि सेवा के ऐसे सदस्य की जो अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है, सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी राशि उपदान के रूप में भुगतान की जायेगी जो उसकी अभिदायी भविष्य निधि की और हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद द्वारा किये गये अभिदाय की राशि तथा उस पर ब्याज जोड़ने पर निम्नलिखित के बराबर होगी

(क) ऐसे सदस्यों की दो महीने की वेतन उपलब्धियों, यदि उसकी मृत्यु सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान हो जाती है,

(ख) ऐसे सदस्य की छह महीने की वेतन उपलब्धियों, यदि उसकी मृत्यु सेवा के पांच वर्षों के दौरान हो जाती है ।

टिप्पणी :

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन उपलब्धि से अभिप्राय है, हरियाणा सेवा नियम जिल्द II के नियम 6.19(क) में यथा परिभाषित वेतन उपलब्धी,

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए परिवार से अभिप्राय है :—

(क) सेवा में पुरुष सदस्य की दशा में ऐसे सदस्य की विधवा तथा बच्चे तथा उक्त सदस्य के मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे,

(ख) सेवा में स्त्री सदस्य की दशा में ऐसे सदस्य का पति तथा बच्चे तथा मृतक सदस्य के पुत्र की विधवा या विधवाओं तथा बच्चों से है ।

प्रति पूरक भत्ता धारा 40(2) तथा धारा 65(2)(च)।

35. हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् अपने कर्मचारियों को प्रति पूरक भत्ता उन दरों पर देगी जैसा कि तत्सम संवर्ग के लिये राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञात होगा.

अन्य लाभ धारा 40(2) तथा धारा 65(2)(च) ।

36. सेवा सदस्य ऐसे अन्य लाभों के भी हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार के पूर्वा-अनुमोदन से समय समय पर हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् स्वीकृत करे ।

सेवा निवृति की आयु धारा 40(2) तथा धारा 65(2)(च) ।

37. (1) सेवा के सदस्य अठ्ठावन वर्ष की आयु पर सेवा निवृत होंगे ।

(2) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि उसकी राय में है कि ऐसा करना जनहित में है तो उसको ऐसे किसी भी कर्मचारी को तीन माह के लिखित आदेश द्वारा उस तिथि से जबकि सदस्य सेवा में पच्चीस वर्ष पूर्ण करता हो या पचास वर्ष की आयु पूरी करता हो, उसकी के पश्चात् अन्य तिथि जिसका वर्णन आदेश में किया गया हो से सेवा निवृत करने का पूर्ण अधिकार होगा : ऐसा कोई भी सदस्य हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को तीन माह की लिखित सूचना देकर जबकि सेवा के पच्चीस वर्ष या पचास वर्ष की आयु पूर्ण करता हो या उसके पश्चात् नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई किसी तिथि को सेवा में निवृत हो सकता है :

परन्तु निलम्बनाधीन सेवा के किसी सदस्य को हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के सिवाय सेवा से निवृत नहीं किया जायेगा ।

(3) उपनियम (I) तथा (II) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की सेवा के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के अधीन सेवा के अयोग्य प्रमाणित किया जाता है तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा सेवा सदस्य को पूर्व समय पर भी सेवा से निवृत किया जा सकता है।

38. रजिस्ट्रार की दशा में अध्यक्ष तथा अन्य मामलों में रजिस्ट्रार की आज्ञा से राज्य में या राज्य के बाहर हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के कार्यों के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए सेवा सदस्यों को राज्य सरकार के तत्सम् सुवर्ग के कर्मचारियों के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता। धारा 40 (2) तथा धारा 65(2) (च)

39. सेवा के सदस्यों के कर्तव्य ऐसे होंगे जो समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे जायें। कर्तव्यों का सौंपना। धारा 40(2) तथा 65(2) (च)

40. सेवा के सदस्यों को परिषद् द्वारा ऐसे रिहायशी कवार्टर आवंटित किये जायेंगे जो ऐसे किराये के भुगतान पर उन की हैसियत के अनुसार उपलब्ध हों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए या वैकल्प में, सेवा के सदस्यों को ऐसी दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जायेगा जो उसी स्थान पर तत्सम् प्रवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय हो। सेवा के सदस्यों को रिहायशी आवासन का आवंटन। धारा 40 (2) तथा धारा 65(2) (च)

41. सेवा के प्रत्येक सदस्य जब हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना या पुनः टीका लगवाने का दायित्व। धारा 40 (2) तथा धारा 65 (2) (च)

42. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उस ने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ। धारा 40 (2) तथा धारा 65(2) (च)

भाग 5

43. (1) पशु चिकित्सा व्यवसायीयों को पंजी प्रारूप "छ" में रखी जायेगी। पशु चिकित्सा व्यवसायीयों की पंजी का रखा जाना तथा पंजीकरण। धारा 44 (4) (30) धारा 47 (5) (54) 65 (2) (छ) (ठ) तथा (ढ)

(2) पशु चिकित्सा व्यवसायीयों के नाम पंजी में उसी क्रम में दर्ज किए जाएँगे जिस में पंजीकरण हेतु उन के आवेदन पत्र में प्रविष्ट किये गये थे और भविष्य में अर्हताओं तथा पतों आदि में परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिये प्रत्येक प्रविष्टि में पर्याप्त स्थान छोड़ा जायेगा। पंजी का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(3) नियमों के अधीन प्रत्येक व्यवसायी का पंजीकरण हो जाने पर रजिस्ट्रार ऐसे व्यवसायी को प्रारूप "ज" में पन्द्रह रुपये की फीस के भुगतान पर प्रमाणपत्र देगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए प्रमाण-पत्र के खो जाने या घटनावश समाप्त हो जाने की दशा में धारक किसी भी समय जिस के दौरान यह प्रमाणपत्र लागू है, प्रमाण

पत्र की दूसरी प्रति के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रार यदि वह ठीक समझे तो आवेदक की पहचान के बारे संतोषजनक प्रमाण-पत्र दस रुपये की फीस के भुगतान पर ऐसा प्रमाण-पत्र दे सकता है ।

पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र धारा 45 (2) धारा 46 धारा 47(1) तथा धारा 65(2)(ज)

44. प्रत्येक व्यक्ति मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता रखता है और स्वयं को पंजीकृत कराने का इच्छुक है, रजिस्ट्रार को अपने द्वारा विधिवत भरे तथा हस्ताक्षरित प्रारूप "झ" में आवेदन करेगा । ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र पन्द्रह रुपये की फीस के साथ होगा ।

पुनः दर्ज किए जाने की फीस धारा 50 धारा 65(2)(च)

45. पंजी में से काटा गया नाम पन्द्रह रुपये की फीस के भुगतान पर पंजी में पुनः दर्ज किया जा सकता है ।

प्रविष्टियों की मुद्रित प्रतियों को जारी करना धारा 51

46. अधिनियम की धारा 51 के अधीन हरियाणा पशु चिकित्सा पंजी की मुद्रित प्रतियां दस रुपये की फीस के भुगतान पर व्यवसायी को जारी की जाएंगी ।

पंजीकरण का अन्तरण धारा 52

47. जब कोई पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अपने पंजीकरण का एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तरण चाहता है तो वह प्रारूप "न" में आवेदन करेगा । ऐसे अन्तरण के लिए फीस पन्द्रह रुपये होगी ।

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की प्रक्रिया के नियम धारा 38 (6)

48. (1) कम से कम वर्ष में दो बार हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जो उक्त परिषद् द्वारा नियत किए जाएं ।

(2) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की बैठक के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति नौ होगी ।

(3) अध्यक्ष जब उपस्थित हो तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी भी सदस्य का ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचन करेंगे ।

(4) अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्‌ की किसी बैठक में प्रस्तुत/उठाए गये सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों की बहु संख्या तथा मतदान द्वारा किया जायेगा ।

(5) समान मतों की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

प्रारूप क

[देखिए नियम 4 (27]

नामजदगी पत्र, निर्वाचन क्षेत्र ——————————

1. हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन । नामजद किये गये उम्मीदवार के बारे विवरण

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम ——————————
2. उम्मीदवार का नाम (मोटे अक्षरों में) ——————————
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ——————————
4. पिता का नाम ——————————
5. जन्म तिथि ——————————
6. लिंग (पुरुष/स्त्री) ——————————
7. पंजी में दर्ज अर्हतायें ——————————
8. पता ——————————
9. प्रस्ताव का नाम ——————————
10. प्रस्तावक की पंजीकरण संख्या ——————————
11. प्रस्तावक का पता ——————————
12. प्रस्तावक के हस्ताक्षर ——————————
13. द्वितीय प्रस्तावक का नाम ——————————
14. द्वितीय प्रस्तावक की पंजीकरण संख्या ——————————
15. द्वितीय प्रस्तावक का पता ——————————
16. द्वितीय प्रस्तावक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं नामजदगी के लिए सहमत हूं । मेरा नाम निर्वाचक क्षेत्र ——————————की मतदाता सूची के पृष्ठ संख्या—————— संख्या ——————————पर विद्यमान है । मेरे द्वारा पचास रुपए की

प्रतिभूति निक्षेप प्राप्ति रसीद संख्या ——————तिथि——————द्वारा करा दी गई है जोकि साथ संलग्न हैं ।

————————
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

यह नामजदगी पत्र मेरे द्वारा तिथि ——————को——————समय पर प्राप्त किया गया ।

————————
रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

अनुदेश

1. रिटर्निंग आफिसर द्वारा ——————————तिथि/समय/से पूर्व प्राप्त न होने वाले नामजदगी पत्र अविधिमान्य होंगे ।

2. उम्मीदवार का नाम वही होना चाहिए जोकि मतदाता सूची में दर्शाया गया है ।

3. उम्मीदवार को प्राप्ति दी जाए ।

4. डाक्टर ——————————निर्वाचनार्थी/प्रस्तावक/द्वितीय प्रस्तावक/उम्मीदवार के अधिकृत अभिकर्ता से—————————— (स्थान) —————————— (तिथि) ——————को——————(समय) पर नामजदगी पत्र प्राप्त किया ।

————————
(रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर)

प्ररूप ख

[देखिए नियम 6(2)]

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधि मान्य रूप से नामजद उम्मीदवारों की सूची।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम ————————

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	पंजीकरण संख्या	उम्मीदवार का पता
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

————————

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप ग

[(देखिए नियम 6 (5)]

मतपत्र का अग्रभाग

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम ——————————

2. मतपत्र की क्रम संख्या ——————————

3. निर्वाचक की निर्वाचन पंजी में क्रम संख्या ——————————

4. निर्वाचक का नाम ——————————

5. प्रेषित करने की तिथि ——————————

6. प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ——————————

प्रतिपर्ण

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	पंजी का भाग जिसमें पंजीकृत है	मतपत्र पत्र (X) चिन्ह लगाने के लिए स्थान
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1	2	3	4
8			
9			
10			

मतपत्र के पीछे की ओर मतदाता जिसे यह भेजा जाता है, का निर्वाचन पंजी में निर्वाचन संख्या उलिखित की जानी चाहिए ।

क्रम संख्या ——————

"अनुदेश"

1. निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए मतदाता, मतदान करना चाहता है के प्रत्याशियों की संख्या ——————————हैं ।

2. निर्वाचित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जो अधिनियम की अनुसूचि में विनिर्दिष्ट की गई पशु चिकित्सा की कोई अर्हताएं धारण किए हों ।

3. उम्मीदवार जिनके नाम के आगे चिन्ह (×) लगा है के पास अधिनियम की अनुसूचि में विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा अर्हताए हैं ।

4. आप इच्छित उम्मीदवार के नाम या नामों के सामने चिन्ह (×) लगा कर अपना मतदान करेंगे । यदि आप अपने समस्त मतों का जहां एक से अधिक मत अनुज्ञात हो, प्रयोग न करना चाहे तो आप को ऐसा करना आवश्यक नही है परन्तु एक से अधिक मत का प्रयोग किसी एक उम्मीदवार के लिये न करें ।

5. मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि . . . .

(क) यदि चिन्ह (×) अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे लगाया जाता है जो निर्वाचित किये जाने हैं, या

(ख) निर्वाचक द्वारा घोषणा उचित रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, या

(ग) इस पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, या

(घ) उस पर मत का अभिलेखन नहीं है, या

(ङ) मतदाता ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये हों या कोई शब्द लिखा हो या इस पर कोई अन्य चिन्ह लगाया हो जिससे कि वह मतपत्र उसका होने की पहचान देता हो , या

(च) यदि अभिलिखित मतों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों से बढ़ जाती है, या

(छ) अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं, या

(ज) यह एक या एक से अधिक प्रयोग किये गये मत की अनिश्चतता के लिए अमान्य है ।

परन्तु जब एक से अधिक चिन्ह इस प्रकार लगाए गए हों जिससे सन्देह उत्पन्न होता हो कि वह किस उम्मीदवार को लागू होना आशचित है तो सम्बन्धित मत, न कि समस्त मत पत्र इस पत्र पर अविधिमान्य होगा ।

6. आप संलग्न प्ररुप "च" में दिये गये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें तथा निर्वाचन नामावली पर अपनी संख्या तथा अपना रिहायशी पता साक्षयांकन अधिकारी जोकि राजपत्रित अधिकारी, सरपंच, अध्यक्ष नगरपालिका समिति की उपस्थिति में लिखें । वह निर्वाचक के हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन करेगा न कि उसके मत का, जिसे कि उसकी उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए । आप मत पत्र सहित ऐसे घोषणा पत्र जोकि लिफाफे में रखे जाने चाहिए । इस घोषणा को लौटा दें । घोषणा प्ररूप पर ऐसे हस्ताक्षर प्रविष्टि तथा साक्ष्यांकन न किए जाने की दशा में मत पत्र अविधिमान्य होगा ।

7. आप द्वारा एक से अधिक मत पत्र भरे जाने की दशा में मत पत्रों में से प्रथम बार में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त अन्यथा क्रम में होने की दशा में विधि मान्य होगा तथा यदि रिटर्निंग अधिकारी यह निश्चय करने में असमर्थ है कि कौन सा मतपत्र सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था तो ऐसे सभी मत पत्र अविधिमान्य होंगे ।

8. मत पत्र रिटर्निंग अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएं या उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिये जायें । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा——————————
तिथि ——————————मास——————————198 ——————
सायं पांच बजे से पूर्व प्राप्त न होने वाले मत पत्र रद्द किये जायेंगे ।

प्ररूप घ

[देखिए नियम 7 (1)]

लघु आवरण

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (निर्वाचन),
हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

क्रम संख्या ——————————

प्रपत्र ङ

[देखिए नियम 7 (17)]

वृहत आवरण

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (निर्वाचन),
हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

क्रम संख्या ____________

प्ररूप "च"

[देखिए नियम 6(5)]

मैं, इस के द्वारा घोषित करता कि मेरा नाम निर्वाचक सूची में प्रविष्टि संख्या .. ..पर अंकित है।

....

(निर्वाचक के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि निर्वाचक ने उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।

....

(साक्ष्यांकन अधिकारी के हस्ताक्षर)

साक्ष्यांकन अधिकारी का नाम ....

निवास स्थान ....

साक्ष्यांकन अधिकारी का पद नाम तथा पूरा पता ....

....

प्ररूप छ

[देखिए 43 (1)]

पशु चिकित्सा व्यवसायी पंजी

क्रम सं०	पूरा नाम मोटे अक्षरों में तथा राष्ट्रीयता	व्यवसायिक वर्तमान पता	स्थायी पता	जन्म तिथि
1	2	3	4	5

पशु चिकित्सा अर्हताएं मूल तथा			अन्य शैक्षणिक अर्हताएं	वर्तमान व्यवसाय सरकारी सेवा/निजि व्यवसाय	रजिस्टर में प्रविष्टि की तिथि	विशेष कथन
डिप्लोमा/डिग्री (मूल तथा उच्चतर दोनों)	महा-विद्यालय/विश्व-विद्यालय जिसने उपाधि पत्र प्रदान किया है	वर्ष तथा (जिसका अर्हता प्राप्त की)				
6	7	8	9	10	11	12

प्ररूप ज

[देखिए नियम 43(3)]

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

मोहर

संख्या............... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि डाक्टर .... को सम्यक् रूप से पशु चिकित्सा व्यवसायी पंजीकृत किया गया/की गई है, तथा अधिनियम तथा हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् नियमों के अधीन प्रदान किए गए सभी विशेषाधिकारों का/की अधिकारी हैं।

इस के साक्ष्य के रूप में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की मोहर तथा उक्त परिषद् के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर यहां अंकित किये जाते हैं।

परिषद् की मोहर रजिस्ट्रार

प्ररूप झ

(देखिए नियम 44)

(पशु चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए आवेदन)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरा निम्नलिखित नाम, पता तथा अर्हताएं हरियाणा पशु चिकित्स पंजी में दर्ज कर ली जायें तथा मुझे पंजीकरण-पत्र दे दिया जाये :—

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. जन्म तिथि ....

4. जन्म स्थान ....

5. वर्तमान पता ....

6. अर्हताएं ....

मैं आप के अवलोकन तथा वापिस लौटाने के लिये प्रमाण-पत्र/उपाधि/उपाधि-पत्र मूल रूप में और प्रतियां अभिलेख के लिए संलग्न करता हूँ।

मैं इस के द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने हरियाया पशु चिकित्सा परिषद् के नियमों में वर्णित अनुदेशों तथा विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है और इस आवेदन-पत्र में दी गई सभी प्रविष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

मैं इस के साथ ....रुपये विहित शुल्क भी ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा भेजता हूँ।

भवदीय,

संलग्न

हस्ताक्षर . . . .

पत्र-व्यवहार के लिए पूरा पता .....
....

प्राक्प न

(देखिए नियम 47)

सेवा में

रजिस्ट्रार,
हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरा निम्नलिखित नाम, पता तथा अर्हताएँ........पशु चिकित्सा परिषद्........ (राज्य का नाम) को स्थानान्तरित कर दी जाएं, मैं पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी हूं । मुझे हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ने पंजीकरण संख्या......... आबंटित की है ।

1. नाम

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि

4. जन्म स्थान

5. वर्तमान पता

6. अर्हताएं

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि इस आवेदन में दर्शाये गये सभी प्रविष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

मैं इसके साथ............रु० विहित शुल्क भी ड्राफ्ट संख्या...... दिनांक——————— द्वारा भेज रहा हूं ।

संलग्न

भवदीय

हस्ताक्षर....... ....
नाम ....
पत्र :व्यवहार के लिए पूरा पता.................
....

परिशिष्ट I

(देखिए नियम 21 तथा 29)

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारी

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	रजिस्ट्रार प्रथम श्रेणी ..	एक	3,000–100–3,500–125–4,500 रुपये
2	पशु शल्य चिकित्सक द्वितीय श्रेणी	एक	2,000–60–2,300–द०रो०–75–3,200–100–3,500 रुपये
3	प्रशासनिक एवम् योजना अधिकारी	एक	2,000–60–2,300–द०रो०–75–3,200–100–3,500 रुपये
4	सहायक ..	दो	1,400–40–1,600–50–2,300–द०रो०–60–2,600 रुपये
5	लेखाकार/कोषाध्यक्ष ..	एक	1,400–40–1,600–50–2,300–द०रो०–60–2, 600 रुपये 50 रुपये विशेष वेतन
6	आशुलिपिक ..	एक	1,400–40–1,600–50–2,300–द०रो०–60–2,600 रुपये
7	लिपिक ..	एक	950–20–1,150–द०रो०–25–1,500 रुपये
8	चालक ..	एक	1,200–30–1,500–द०रो०–40–2,040 रुपये तथा 50 रुपये विशेष वेतन
9	सेवादार ..	दो	750–12–870–द०रो०–14–940 रुपये
10	झाड़ूकश अंश कालिक ..	एक	..

परिशिष्ट II

[देखिए नियम 26(च)]

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें।

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति के लिए प्रतिशतता		अर्हताएं तथा अनुभव		विशेष कथन
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1	रजिस्ट्रार ..	100 प्रतिशत	—	अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा अर्हताओं में कोई अर्हता रखता हो	—	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन विभाग हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्ति को ले सकती है। उस रूप में जिस की कम से कम 20 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए ।

1	2	3	4	5	6	7
2	पशु शल्य चिकित्सक वर्ग II	100 प्रतिशत	—	अधिनियम को अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा अर्हताओं में कोई अर्हता रखता हो	—	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन विभाग हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती हैं। उस रूप में जिस की कम से कम 10 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए।
3	प्रशासनिक एवम् योजना अधिकारी	100 प्रतिशत	—	(1) बी.ऐ. अथवा कम से कम पांच वर्ष का सहायक के रूप में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या परिषद् में अनुभव सहित प्रथम श्रेणी में मैट्रिक। (2) टाईप का ज्ञान आवश्यक है।	—	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन विभाग हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती है। उस रूप में जिस की कम से कम 15 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए।
4	सहायक ..	50 प्रतिशत	—	(1) बी.ए. अथवा प्रथम श्रेणी में मैट्रिक, तथा	लिपिक के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य किया हो।	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन विभाग, हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती हैं जिस का कि उस रूप में कम से कम 10 वर्ष

				(2) लिपिक पद पर कम से कम 5 वर्ष का भारत या किसी राज्य सरकार या परिषद में अनुभव । (3) टाईप का ज्ञान ।	2. टाईप का ज्ञान आवश्यक है ।	की सेवा तथा अच्छा सेवा-अभिलेख होना चाहिए ।
5	लेखाकार/कोषाध्यक्ष	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	1. बी.ए. अथवा प्रथम श्रेणी में मैट्रिक, तथा 2. लिपिक पद पर कम से कम 5 वर्ष का भारत या किसी राज्य सरकार या परिषद् में अनुभव । 3. टाईप का ज्ञान ।	लिपिक के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य किया हो ।	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती है । जिसका कि उस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए ।

1	2	3	4	5	6	7
6	आशुलिपिक ..	100 प्रतिशत	—	(क) प्रथम श्रेणी में मैट्रिक ; (ख) आशुलिपिक के रूप में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा ; (ग) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में आशुलिपिक 120 शब्द प्रति मिनट की गती से तथा टाईप 40 शब्द प्रति मिनट ।	—	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाह तो पशु पालन विभाग हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती है । जिस का कि उस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए ।
7	लिपिक ..	100 प्रतिशत	—	1. बी. ए. अथवा प्रथम श्रेणी में मैट्रिक ; 2. मैट्रिक, स्तर तक हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; तथा	—	—

				3. हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप का 30 शब्द प्रति मिनट की गति सहित ज्ञान होना चाहिए।		
8	चालक	..	100 प्रतिशत	—	1. हल्के वाहनों को चलाने के लिए चालान अनुज्ञात। 2. छोटी मुरम्मत करने में स्वयं प्रवीण होना चाहिए। 3. हिन्दी तथा अंग्रेजी लिखने व पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। 4. कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, तथा 5. कार तथा जीप चलाने के अनुभव को अधिमान दिया जायेगा।	—	हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् यदि ऐसा चाहे तो पशुपालन विभाग हरियाणा से किसी प्रतिनियुक्त को ले सकती है, जिस की उस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा तथा अच्छा सेवा अभिलेख होना चाहिए।

1	2	3	4	5	6	7
9	सेवा दार ..	100 प्रतिशत	—	कम से कम मिडिल पास या मैट्रिक	—	—
10	झाड़ू कश (अंशकालिक)	100 प्रतिशत	—	—	—	—

(देखिए नियम 36)

(हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् अभिदायी भविष्य निधि नियम)

1. (क) "ब्याज", से अभिप्राय है अभिदायी भविष्य निधि की ओर किसी अभिदाता के अतिशेष से प्रादभूत ब्याज जो इस प्रकार संगणित किया जायेगा मानो ऐसा अतिशेष बचत बैंक में जमा था ।

(ख) "वेतन", से अभिप्राय है, मासिक वेतन तथा इस में शामिल है, विशेष वेतन आदि यदि कोई हो, परन्तु इस में यात्रा भत्ता/वाहन भत्ता अथवा ऐसा अन्य भत्ता शामिल नहीं है ।

(ग) "सेवक", में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का ऐसा प्रत्येक सेवक शामिल है जो परिषद् के अधीन कोई पद धारण करता है ।

(घ) "बचत बैंक", से अभिप्राय है, राज्य और भारत सरकार का डाकघर बचत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक का समनुषंगी बैंक ।

(ङ) "अभिदाता", से अभिप्राय है, कोई सेवक जिस से हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अपेक्षा की जाये या अनुज्ञात किया जाए, तथा

(च) "सावधि निक्षेप लेखा", से अभिप्राय है भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में अथवा भारत के किसी अन्य बैंक में जो भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंग बैंक के रूप में कार्यरत हो, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा हो, में सावधि निक्षेप लेखा ।

2. सेवा भविष्य निधि में अभिदाय करेगा या कर सकता है :—

प्रत्येक ऐसे सेवक से जिस का वेतन रुपये 750/- प्रति मास से कम नहीं और जो नियुक्त किया गया हो या पदोन्नत किया गया हो, इस तिथि को या उसके बाद हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् संकल्प द्वारा भविष्य निधि लेखा की स्थापना करने और बनाए रखने का निश्चय करें वेतन का दस प्रतिशत ऐसी भविष्य निधि में अपना अभिदाय करने के लिए अपेक्षा की जाएगी ।

यदि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ऐसा अनुज्ञात करे, संकल्प की तिथि से पहले ऐसे पद पर नियुक्त या पदोन्नत किया गया सेवक ऐसी निधियों में अभिदाय कर सकते हैं :

परन्तु हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् किसी भी सेवक को जो ऐसे पद पर नियुक्त या पदोन्नत किया गया हो जिस का मासिक वेतन यथा

उपर वर्णित से कम है, इन नियमों के अनुसार भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकती है ।

3. अभिदान की वसूली—.(1) अभिदान भविष्य निधि की ओर प्रत्येक अभिदान अभिदाता के प्रत्येक वेतन बिल से ऐसे अभिदान की राशि की कटौती द्वारा वसूल किया जायेगा, परन्तु की जाने वाली कटौती की संगणना में रुपये की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा ।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी भी सेवक को जो प्रथम 20 दिन के अवकाश के सिवाए अनुपस्थित रहता है, या अर्जित अवकाश पर अनुपस्थित है, अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. अभिदायी भविष्य निधि में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का अभिदान—हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् प्रत्येक अभिदाता को अभिदायी भविष्य निधि में उस के अभिदान की राशि के बराबर का अभिदाय करेगी, परन्तु—

(क) यदि कोई अभिदाता जिस से इस प्रकार प्रथम बार अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाये करने के लिए अपेक्षा की गई हो या जिसे अनुज्ञान किया गया हो, उस तिथि को या उस के पश्चात् जिस से उस ने अभिदान करना प्रारम्भ किया हो, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की सेवा से, बिमारी अथवा किसी अन्य कारण से जिसे उक्त परिषद् पर्याप्त समझे त्याग पत्र दे देता है तो वह—

(i) यदि उसने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा उस की अभिदायी भविष्य निधि में दिये गये आधे अभिदाय का तथा उस पर ब्याज का हकदार होगा ।

(ii) यदि उसने पांच वर्ष की सेवा पूरा नहीं की है तो वह हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा उसकी अभिदायी भविष्य निधि में दिये गये किसी अभिदान तथा उस पर देय ब्याज का हकदार नहीं होगा ।

(ख) यदि किसी अभिदाता को सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् उस के रोके जाने वाले भुगतान के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर देने के पश्चात् उस के द्वारा उसकी अभिदायी भविष्य निधि में दिए गए पूरे अभिदान को अथवा किसी भाग को तथा उस पर देय ब्याज को रोक सकती है ।

5. खाता लेखा अभिदान :—(1) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् इन नियमों से संलग्न प्रारूप "भ० नि० I" में अभिदायी भविष्य निधि खाता रखेगी जिस में प्रत्येक अभिदाता के लिये अलग से प्रभाग नियत करेगी तथा इस में ऐसे अभिदाता की राशि के लिए

तथा हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का अभिदाय की राशि और मासिक अतिशेष को, जिस पर ब्याज की संगणना की जानी है प्रत्येक माह प्रविष्टि की जाएगी ।

(2) अभिदाता के जमा खाते के अतिशेष पर ब्याज की संगणना प्रत्येक वर्ष के अन्त में अथवा जब खाता बन्द किया जाता है की जाएगी, तथा प्रत्येक मास के चौथे दिन की समाप्ति पर तथा मास के अन्तिम दिन के बीच को अभिदाता के खाते के रुपए की भिन्न को छोड़कर अतिशेष पर निकटतम पैसे की तक की जाएगी ।

(3) प्रत्येक वर्ष के अन्त में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् प्रत्येक अभिदाता को साथ में संलग्न प्ररूप भ० नि० 2 में वर्ष के प्रारम्भ में उसके खाते में अतिशेष अभिदान तथा अभिदाय के रूप में उसमें जमा राशि, तथा वर्ष के दौरान देय ब्याज तथा वर्ष के अन्त में उस के खाते में अतिशेष दर्शित करते हुए एक विवरण देगी ।

6. अभिदान तथा अभिदाय का भुगतान डाकघर बचत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उस के समनुषंगी बैंक के खाता में मासिक रूप से किया जाना.—

(1) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् डाकघर या भारतीय स्टेट बैंक अथवा उन के समनुषंगी बैंकों में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् "कर्मचारी अभिदाय भविष्य निधि लेखा" के नाम से एक लेखा खोलेगी । यथा सम्भव शीघ्र इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिदान तथा अभिदाय की सभी वसूलियों की राशि ऐसे लेखों में प्रत्येक मास के प्रारम्भ में और यथा सम्भव प्रत्येक मास के चौथे दिन भुगतान कर दी जाएगी ।

(2) अभिदान तथा अभिदाय में से चैक जारी करने से पूर्व हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के वाऊचर प्ररूप पर एक बिल बनाया जायेगा तथा सम्बन्धित वेतन तथा स्थापना बिल के साथ उक्त परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । उक्त परिषद् अभिदान तथा अभिदाय का भुगतान एक ही बिल एक ही चैक द्वारा करेगी ।

7. राशि निकालने के लिए सामान्य नियम.— निम्नलिखित के सिवाए अभिदायी भविष्य निधि लेखा से कोई भी राशि निकाली नहीं जाएगी,—

(क) अभिदायी भविष्य निधि के नियम 8 तथा नियम 9 के उपनियम (1) तथा (2) के उपबन्धों के अधीन अभिदाता को पैशगी देने के प्रायोजन के लिए या

(ख) अभिदायी भविष्य निधि के नियम 10 के अधीन जब अभिदाता का लेखा अभिदाता को अथवा उस के उत्तराधिकारियों को भुगतान के लिए बन्द करना हो,

8. पैशगियां.—हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की मंजूरी से किसी भी अभिदाता को अभिदायी भविष्य निधि खाता के खाना 6 में उस के लेखे में जमा राशि की सीमा तक अभिदायी भविष्य निधि में से ऐसी राशि जो उसके वेतन के अभिदायी भविष्य निधि में से ऐसी राशि जो उस के वेतन के तीन गुणा से अधिक न हो निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए पेशगी रूप में मंजूर की जा सकती है :—

(क) अभिदाता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की बिमारी के सम्बन्ध में खर्चों के भुगतान के लिए, अथवा......

(ख) विवाह, अन्त्येष्टि संस्कार, अथवा अन्य समारोह के सम्बन्ध में हुए खर्चों के भुगतान के लिए जिन का करना अभिदाता के धर्मानुसार उस के लिए आवश्यक है तथा जिन के सम्बन्ध में खर्चे अवद्ध कर हो,

परन्तु ऐसी कोई भी पेशगी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक अभिदाता की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं परिषद् की राय में अनुग्रह अत्यन्त आवश्यक न हो।

टिप्पणी :—इस नियम के प्रयोजन के लिए परिवार से अभिप्राय है—

(i) पुरुष अभिदाता की दशा में उस की पत्नी तथा बच्चे तथा उस के मृतक पुत्र की विधवा या विधवा के बच्चे, यदि कोई हो,

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में उस का पति तथा बच्चे तथा उस के मृतक पुत्र की विधवा या विधवा के बच्चे, यदि कोई हो,

(2) पेशगी की राशि चौबिस तक की ऐसी बराबर किस्तों मे वापसी भुगतान योग्य होगी जो पेशगी मंजूर करते समय परिषद् द्वारा नियत की जाए तथा ऐसा प्रतिशोधन अभिदान भविष्य निधि कोष नियम 3 में दी गई विधि द्वारा किया जायेगा।

(3) अग्रिम राशि की प्रविष्टि अभिदान भविष्य निधि कोष प्रपंजी के स्तम्भ (5) में की जाएगी तथा अंशदान भविष्य निधि कोष प्रपंजी के स्तम्भ (8) में ऐसी किस्तों की संख्या से सम्बन्धित विवरण दिया जाएगा जिस के अनुसार अग्रिम राशि वसूल की जाएगी। प्रत्येक माह वसूली गई राशि का एन्द्राज लाल स्याही में प्रपंजी के स्तम्भ (2) में किया जायेगा तथा स्तम्भ (7) में अग्रिम राशि का अन्तिम शेष दर्शाया जायेगा प्रत्येक माह के अन्तिम शेष पर संगणित ब्याज, अभिदाता से अन्तिम किस्त की अदायगी के मास से अगले मास में किया जायेगा, जिस की स्तम्भ (6) वर्ष के अन्त मे दर्शाये मासिक शेष पर गणना की जाएगी।

(4) यदि अंशदान भविष्य निधि में नियम 4 के खण्ड (क) या (ख) के उपबन्धों के अधीन परिषद् का अंश दान पूर्णतया या आंशिक रूप से अभिदाता का लेखा बन्द करने पर, रोका जाना है तथा यदि ऐसा लेखा बन्द कर दिया जाता है तो ऐसे अभिदा

को अग्रिम दी गई राशि जो अभी तक बकाया है, तो शेष अग्रिम राशि और मास के अन्त में अग्रिम राशि के बकाया पर देय ब्याज स्तम्भ (6) लेखा में दर्शाई गई जमा राशि में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के भाग के लेखा की कुल जमा राशि के लिए जोड़ दिया जायेगा ।

9. बीमा आदि के प्रति भुगतान:–(क) अभिदाता की निधि में जमा ब्याज सहित अभिदायों की राशि को जीवन बीमा पालसी के प्रति भुगतान के लिए निकलवाया जा सकता है ।

(ख) पालसी इस प्रकार होगी :–

1. जो विधिक रूप से हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को समनुदेशनिय हो,

2. जिसे की अभिदाता ने स्वयं अपने जीवन के किए प्राप्त किया जों,

(ग) हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् अभिदाता की ओर से जीवन बीमा निगम को भुगतान नहीं करेगा और न हीं पालसी को जीवित रखने के लिए पग उठाएगी। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् किसी भी समय प्रीमियम की रसीदें जो यह दर्शाती हों कि वास्तव में बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया है, की मांग तथा जांच कर सकती है । अभिदाता द्वारा उन्हें प्रस्तुत न करने की दशा में हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् अभिदाता के वेतन से आवश्यक कटौतियां उसकी निधि में जमा कराने हेतु करेगी ।

टिप्पणी :–(i) जब अभिदाता अपनी पालसी को समादत्त मूल्य में बदलना चाहे तो यह देखना आवश्यक है कि पालिसी का समादत्त मूल्य निधि से प्रीमियम के लिए अपंयाजित राशि से कम नहीं हो । यदि समादत्त मूल्य, निधि से प्रीमियम के भुगतान के लिए निकाली हुई कुल राशि से कम है तो अभिदाता को तत्काल रूप से राशियों के अन्तर को निधि में जमा कराने के लिए आदेश दिए जाएंगे । फिर भी यदि अभिदाता समादत्त पालिसी के स्थान पर नई पालिसी लेना चाहता हैं, तो नई पालिसी हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को समनुवेशित की जाएगी ।

(ii) यदि अभिदाता पालिसी को अभयपर्ण करने का विचार रखता है तो उसे पालिसी का अभ्यपर्ण मूल्य अपनें निधि में जमा कराना चाहिए और यदि अभ्यपर्ण मूल्य निधि से प्रीमियम के भुगतान के लिए अभ्याजित राशि से कम है तो वह इस राशि का अन्तर निधि में भी जमा करायेगा ।

(iii) यदि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को समनुवेशित पालिसी, अभिदाता के छोड़ने से पहले परिपक्व हो जाती है तो प्रीमियम के भुगतान के लिए निधि से निकलवाई गई सम्पूर्ण राशि या राशि का कोई भाग उस पर लगे ब्याज सहित अभिदाता द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

(4) जीवन बीमा पालिसियों के समनुदेशन के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाएगी :—

(क) प्रीमियम के भुगतानों के प्रयोजन के लिए निकाली गई राशि के तीन मास के अन्दर समनुदेशित राशि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को परिदत्त की जाएगी, और इस के साथ अभिदाता यह प्रमाण पत्र भेजेगा कि पालिसी पर पहले से कोई समनुदेशन नहीं है। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् भी बीमा कम्पनी से सीधे पत्र व्यवहार से स्वतंत्र रूप से इस तथ्य की परितुष्टि करेगी।

(ख) पालिसी के समनुदेशन की सूचना अभिदाता द्वारा बीमा कम्पनी को दी जाएगी तथा बीमा कम्पनी को दी गई सूचना की प्राप्ति अभिदाता द्वारा समनुदेशन के तीन मास के भीतर हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को भेजी जाएगी।

परन्तु अभिदाता को जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के भुगतान के लिए अंशदान भविष्य निधिकोष में अपने पास से जमा कराई गई राशि में से उस के किसी *भाग या किसी राशि के वापिस करने या जमा कराने के लिए नहीं किया* जाएगा।

(ग) खण्ड (७)(ग) के अधीन टिप्पणी में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन उस में उल्लिखित नोटिस में वर्णित प्रयोजन के लिए हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् पालिसी का पुनसमुर्नदेशन अभिदाता को कर सकती है।

(घ) इस नियम के अधीन पालिसी का समनुदेशन, पालिसी पर पृष्ठांकित किया जाएगा तथा पृष्ठांकन प्रारूप निम्नलिखित होगा —

"मैं, इस के द्वारा जीवन बीमा पालिसी को नियम (9) के खण्ड (क) के अधीन सभी राशियों के भुगतान के लिए जो मेरे द्वारा इस में इस के बाद परिषद् के अंशदान भविष्य निधि कोष में देय होगी को भुगतान के लिए हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के पास प्रतिभूति के रूप में समनु देशित करता हूँ"।

10. **प्रत्याहरण लेखा बन्द करना।**—जब किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाए तो अंशदान भविष्य निधि लेखा परिपंजी के स्तम्भ (6) में इस लेखे में जमा दर्शायी गई राशियां और उस दिन तक देय ब्याज बचत बैंक से निकलवा दी जाएगी और ऐसी राशि का भुगतान किया जायेगा —

(क) *यदि मृतक (स्त्री/पुरुष) ने अपने जीवन में निम्नलिखित को भुगतान के* लिए विधिमान्य घोषणा की हो :

(i) उसकी विधवा या विधवाओं या पति को जैसी भी स्थिति हो और

(ii) उसके बच्चे या बच्चों को यदि एक से अधिक बच्चा हो तो ऐसे अनुपात में जिस के भुगतान की घोषणा मृतक द्वारा की गई हो :

(ख) यदि मृतक (स्त्री/पुरुष) ने अपने जीवन में इस के भुगतान के लिए कोई विधिमान्य घोषणा की हो तो :

(1) मृतक की विधवा को एक अर्धांश भाग या विधवाओं को एक अर्धांश भाग का बराबर हिस्सा अथवा मृतक के पति को एक अर्धांश भाग, जैसी स्थिति हो, तथा

(2)(i) दूसरा अर्धांश भाग उस के बच्चे को या एक से अधिक बच्चे हों तो उनको अर्धांश भाग का बराबर भाग, या

(ii) यदि मृतक के कोई बच्चा नहीं है तो मृतक की विधवा को या विधवाओं को समान भाग में या पति को, जैसी भी स्थिति हो, और

(3) यदि मृतक की कोई विधवा या विधवाऐं न हो या पति न हो तो बच्चे या बच्चों को समान भाग में जैसी भी स्थिति हो, और

(ग) अन्य सभी मामलों में उस के विधिक उत्तराधिकारियों को।

व्याख्या:—उप नियम (i) के प्रयोजन के लिए अभिदाता का निम्नतर बालक, उसकी मृत्यु के समय हुआ, उस के परिवार का सदस्य समझा जायेगा और यदि बाद में उत्पन्न हुआ है तो उसी प्रकार समझा जायेगा जिस प्रकार की अभिदाता की मृत्यु से पूर्व वह बालक जीवित था।

(2) नियम (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई अभिदाता हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् की सेवा में नहीं रहता, तो अंशदान भविष्य निधि खाते के स्तम्भ (6) में उस के लेखे में जमा दर्शायी गई तथा उस तिथि तक उत्पन्न ब्याज को निकलवा लिया जाएगा और उसे भुगतान कर दिया जाएगा। परन्तु

(क) यदि उसे अस्थायी रूप से छोड कर अन्यथा किसी अन्य स्थानीय निकाय की सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जोकि अंशदान भविष्य निधि रखता है अथवा अस्थायी रूप से *अन्य स्थानीय निकाय की सेवा में स्थानान्तरित किए जाने पर अपनी मूल सेवा पर* वापिस आता है तो निकाली गई राशि ऐसे अन्य "स्थानीय निकाय" को भुगतान कर दी जाएगी, और

(ख) यदि उस का स्थानान्तरण अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थानीय निकाय में हो जाता है तो अंशदान भविष्य निधि खाते के स्तम्भ (6) में उस के खाते में जमा दर्शायी गई *राशि निकलवाई नहीं जाएगी और उस के लेखा में जमा रहेगी।*

(3) उपनियम (1) अथवा उप नियम (2) में किसी बात के होते हुये भी अभिदाता अथवा उस के उत्तराधिकारियों को इन उपनियमों के अधीन भुगतान के लिए कोई राशि नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि ऐसा भुगतान तुरन्त न किया जा सकता हो :

परन्तु यदि ऐसा भुगतान एक वर्ष के अन्दर न किया जा सकता हो, यदि अभिदाता के अंशदान भविष्य निधि लेखा में दस रुपये या कम हो, या भुगतान तीन वर्ष में न किया जा सकता हो, यदि ऐसी राशि दस रुपये से अधिक है, तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ऐसे राशि को निकलवाएगी और अपने चालू खाते में जमा करा देगी।

(4) इस नियम के उपबन्धों के अधीन जब कोई लेखा बन्द किया जाता है तो लाल स्याही से अंशदान भविष्य निधि लेखा खाता बही की अन्तिम प्रविष्टि के नीचे पृष्ट के आर पार एक रेखा खींच दी जाएगी तथा बचत बैंक में जिस वाऊचर संख्या तथा तिथि से राशि जमा कराई गई है रेखा के नीचे अंकित कर दिया जाएगा।

11. बकायों की वसूली :—अंशदान भविष्य निधि के नियम (10) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिदाता द्वारा कोई राशि लेखा बन्द करने के समय हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् को देय हो तो, परिषद् नियम 10 के अधीन भुगतान करने से पूर्व ऐसी राशि काट सकती है।

प्रारूप भ० नि० 1

[देखिए अंशदान भविष्य निधि नियम के नियम 5(1)]

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

लेखा संख्या ....अभिदाता का नाम ....

वर्ष	अभिदान	जमाकर्ता का अभिदाय	योग	प्रत्याहरण	मासिक शेष जिस पर ब्याज की गणना की जानी है	निकलवाई गई राशि का मासिक शेष, जिस पर ब्याज की हानि की गणना की जानी है	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारम्भिक शेष —							
अप्रैल							
मई							
जून							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्तूबर							
नवम्बर							
दिसम्बर							
जनवरी							
फरवरी							
मार्च							

अधीक्षक

रजिस्ट्रार

लेखाकार

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ।

प्रपत्र अ० नि० 2

[देखिए अंशदान भविष्य निधि नियम के नियम 5(3)]

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

अभिदाता का वार्षिक लेखा . . . .

अंशदायी भविष्य निधि . . . .

अभिदाता का नाम . . . .

अभिदाता की लेखा संख्या . . . .

31 मार्च 19. . . . . .को लेखे में जमा शेष . . . .

वर्ष . . . . . . .में प्राप्त अंशदान तथा अभिदान . . . .

प्रोदभूत ब्याज . . . .

ब्याज की बकाया राशि . . . .

31 मार्च, 19 .को कुल शेष . . . .

यदि अभिदाता चाहे तो लेखा कि सत्यता के लिए, लिखित रूप में नीचे दर्शायी गई तिथि से एक मास के अन्दर हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार को प्रतिवेदन कर सकता है ।

तिथि . . . .

हस्ताक्षर (लेखाकार) . . . . . . .अधीक्षक . . . . . .   रजिस्ट्रार . . . . . .

हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद्

एम० एस० राठी,
आई.ए.एस.,
सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन विभाग ।